न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली जिला पाली (राज.)
पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 07/2022

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2022/44

प्रार्थीगण:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण:–**
सरकार जरिये तहसीलदार, बाली		1. श्रीमती छोगी पत्नि चेलाराम 2. श्री मांगीलाल पुत्र चेलाराम 3. श्री रमेश पुत्र चेलाराम,जातिगण मेघवाल, निवासीगण दांतीवाडा तहसील बाली जिला पाली राज.

"अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970"

उपस्थित :–

- प्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार बाली।
- अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नेकाराम चौधरी।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 07.03.2025

प्रार्थी तहसीलदार बाली ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत भू आवंटन एवं आवंटन सलाहकार समिति "समस्या समाधान शिविर,1992 द्वारा ग्राम दांतीवाडा के खसरा नम्बर 548 में से 0.8000 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि का चेलाराम पुत्र वना जाति चौधरी के पक्ष में किए गए भू–आवंटन आदेश क्रमांक/प.12(2)/राज/92/1731 दिनांक 21.06.1992 के विरूद्ध पेश किया है।

पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर पाली के निर्देशानुसार न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली के आदेश क्रमांक/सीलिंग/कोर्ट/2022/182 दिनांक 20.12.2022 द्वारा स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया।

तहसीलदार बाली के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 के आवंटी का मौके पर आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी का व्यवसाय कृषि या कृषि सह कार्य नहीं हैं। वक्त आवंटन आंवटी के द्वारा असत्य तथ्य प्रकट कर आवंटन/नियमन करवाया हैं। आवंटी के द्वारा आवंटन/नियमन की शर्तों की पालना नहीं की हैं। गैर खातेदारी आवंटन वर्ष 1992 में हुई है। जिसके नामान्तरकरण संख्या 143 हैं। मौके पर आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। वर्तमान में उक्त भूमि पर कई वर्षों से पकाराम, कीकाराम, गुलाबराम पिस. गणाराम जातिगण जणवा इत्यादि का उक्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

भूमि पर कब्जा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत कर आवंटी का आवंटन/नियमन को निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार बाली से वर्तमान मौका स्थिति रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाली ने अपने पत्रांक/भू.अ./2024/378 दिनांक 22.05.2024 के द्वारा वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रेषित की, जिसके अनुसार ग्राम ग्राम दांतीवाडा के खसरा नम्बर 548 रकबा 0.8000 हैक्टर भूमि में 1. छोगी पत्नी चेलाराम हिस्सा 1/2, 2. मांगीलाल पुत्र चेलाराम हिस्सा 1/4 व 3. रमेशराम पुत्र चेलाराम हिस्सा 1/4 जाति चौधरी के नाम सा. देह गैर खातेदारी दर्ज है। ग्राम दांतीवाडा के खसरा नम्बर 548 रकबा 0.8000 हैक्टर भूमि पर छोगी वगैरह का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त भूमि पर वर्तमान में कब्जा पकाराम, कीकाराम, गुलाबराम, पुत्र देवाराम जाति जणवा का है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि आवंटी एक विधवा काश्तकार है तथा आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा अपने पशुधन को चराने हेतु उपयोग में ली जा रही है

हस्तगत प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकारी पैराकार नायब तहसीलदार बाली ने निवेदन किया कि ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 548 रकबा 0.80 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार का कब्जा काश्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी का आवंटन निरस्त किया जाए।

अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान जवाब पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया तथा तहसीलदार के कथन को अस्वीकार करते हुए स्वयं का कब्जा काश्त एवं वैधानिक हक हकूक जताया। अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष ने बहस के अंत में कथन किया कि वर्ष 1992 में आवंटन/नियमन आदेश होने के पश्चात नियमानुसार आवंटी को विधिवत कब्जा प्राप्त हुआ था एवं आवंटी के पक्ष मे जैर आवंटन आदेश आवंटन नियमों के तहत एवं विधिवत प्रावधानों अनुसार किया गया है ऐसे में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र भू आवंटन एवं आवंटन सलाहकार समिति "समस्या समाधान शिविर,1992 द्वारा ग्राम दांतीवाडा के खसरा नम्बर 548 में से 0.8000 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि का चेलाराम पुत्र वना जाति चौधरी के पक्ष में किए गए भू–आवंटन आदेश क्रमांक/प.12(2)/राज/92/1731 दिनांक 21.06.1992 के विरुद्ध पेश किया है।

आवंटन आदेश के अनुक्रम में नामान्तरकरण संख्या 143 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर पाया गया कि कृषि भूमि आवंटन/नियमन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21.05.1992 में लिए गए निर्णय एवं उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश क्रमांक/क्रमांक/प.12(2)/राज/92/1731 दिनांक 21.06.1992 के द्वारा ग्राम दांतीवाडा के खसरा नम्बर 548 में से 0.8000 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि का चेलाराम पुत्र वना जाति चौधरी के पक्ष में किया गया। तदन्तर अप्रार्थीगण गैर खातेदार के रुप में ही दर्ज हैं। यद्यपि अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर आंवटित भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने का कथन किया है, किन्तु अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेज या फोटोग्राफ इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए हैं जिससे

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

यह प्रमाणित हो सके कि आवंटित भूमि खसरा संख्या 548 रकबा 0.80 हैक्टेयर पर उनका ही कब्जा काश्त है। इसके विपरित, सरकारी पक्ष की ओर से प्रस्तुत गिरदावरी संवत् 2080 खरीफ एवं रबी में उक्त आवंटित भूमि पर किसी प्रकार की काश्त नहीं होने की पुष्टि होती है। प्रार्थी तहसीलदार बाली द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक 378 दिनांक 22.05.2024 में भी इस तथ्य की पुनः तस्दीक की गई है कि ग्राम दांतीवाडा के खसरा संख्या 548 रकबा 0.80 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण छोगी वगैरह का कब्जा काश्त नहीं है एवं तहसीलदार बाली की उक्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर वर्तमान में पकाराम, कीकाराम, गुलाबराम पुत्र देवाराम जणवा का कब्जा है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटित भूमि पर आवंटी गैर खातेदार का कब्जा काश्त होना आवश्यक है, जिसके अभाव में आवंटन निरस्त योग्य होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970 स्वीकार किया जाकर मौजा दांतीवाडा के खसरा संख्या 548 रकबा 0.80 का उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा जरिए आदेश क्रमांक/92/1731 दिनांक 21.06.1992 से किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है तथा निर्देश दिए जाते है कि उक्त खसरा संख्या 548 में अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी विलोपित करते हुए उक्त भूमि को राजकीय खाते में दर्ज किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते है कि तहसीलदार बाली उक्त भूमि पर काबिज पकाराम, कीकाराम, गुलाबराम पि.देवाराम जणवा के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित कर उन्हें भौतिक रुप से बेदखल कर प्रश्नगत भूमि को राजकीय कब्जे में लेवें एवं पालना रिपोर्ट एक माह में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, बाली-पाली

CamScanner